

EXTRAORDINARY

भाग II—**सण्ड** 3—रूप-**सण्ड** (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भाषिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ti. 1222] No. 1222] गई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 27, 2008/माद्र 5, 1930

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 27, 2006/BHADRA 5, 1930

लहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रचान)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अखस्त, 2008

का.आ. 2113(अ)—यत: तीचे उल्लिखित क्षेत्र के बारे में दिल्ली मास्टर प्लान में नीचे दिए गए क्षेत्र के संबंध में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव है, उन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) के खण्ड 44 के प्रायधानों के अनुसार 13 जून, 2008 की सं. का.आ. 1442(अ) की सार्वजनिक सूचना के रूप में पारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-छण्ड (3) द्वारा विकास प्रीकृत उच्छ नोटिस की तारीख के तीस दिन के भीतर आपित्रियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

- 2. यतः केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् दिल्ली मास्टर प्लान, 2021 को संशोधित करने का निर्णय लिया है।
- 3. अत:, अब उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचनः के प्रकाशन की तारीख से उक्त दिल्ली मास्टर फ्लान, 202! में निम्निशिखित संशोधन करती है, क्शते कि मौजूदा अनिवकृत कालोनी के साथ-साथ दिणोंस अपनी भूमि पर उचित सड्क मुहैया कराए। संशोधन :

जोन ''डी'' में 24, तिलक सार्ग, नई दिल्ली में 2.58 एकड़ (1.04 डैक्टेक्र) के निम्न क्षेत्र का भू-डपयोग नीचे सूचीबद्ध वर्णन के आधार पर बदला जाता है :--

| स्थान | क्षेत्रकल | भू-दमयोग (एममोडी-2021) | भू-उपयोग परिवर्तिव | सीमा |
|--|-----------|--|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| बोन-डी में 24, 2.58 एकड़ तिलक मार्ग, (1.04 डैक्टेयर) नई दि स्ली | | ''सरकारी और अर्द्ध-सरकारी सुविधाएं" | ''सरकारी कार्यालय'' | पूर्व—तिलक मार्ग पश्चिम—प्लाट सं. 7 डत्तर—सिकन्दरा रोड दक्षिण—कस्त महाविद्यालय |

[स. के-20013/15/2004-डी डी आई वी] पी. को. सांतरा, अधर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Deibi, the 27th August, 2008

- S.O. 2113(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide No. S.O. 1442(E) dated 13th June, 2008 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.
- 2. Whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi 2021.
- 3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhl- 2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification:

The land use of the following area measuring 2.58 acre (1.04 ha.) at 24, Tilak Marg, New Delhi failing in Zone-D is changed as per description listed below:—

| Location | Area | Land use (MPD-2021) | Land Use changed to | Boundaries |
|---|-------------------------|---|------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 24, Tilak Marg, New Delhi in Zone-D | 2.58 acre (1.04 ha.) | 'Public and Semi Public Facilities' | 'Government Office' | East—Tilak Marg West—Plot No. 7 North—Sikandra Road South—College of Arts |

[No. K-20013/15/2004-DDIB]

P. K. SANTRA, Under Secy.